



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 645]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 8, 2010/चैत्र 18, 1932

No. 645]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 8, 2010/CHAITRA 18, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2010

(आय-कर)

का.आ. 775(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर नियम (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये 1 अक्टूबर, 2009 से प्रवृत्त होंगे।

2. नए नियमों का अंतःस्थापन.—आय-कर नियम, 1962 के उप-भाग छ के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

‘च.—स्थायर संपत्ति से भिन्न संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का अवधारण

11प. उचित बाजार मूल्य के अवधारण में प्रयुक्त पदों के अर्थ—इस नियम और नियम 11प के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “लेखाकार” का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 288 के स्पष्टीकरण में समनुदेशित है;

(ख) किसी कंपनी के संबंध में “तुलनपत्र” से ऐसी कंपनी (उससे उपाबद्ध टिप्पण और लेखाओं के भाग स्वरूप सहित) का तुलनपत्र अभिप्रेत है जो मूल्यांकन की तारीख को लेखबद्ध किया गया है;

(ग) “वाणिज्यिक बैंककार” से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत प्रवर्ग 1 का वाणिज्यिक बैंककार अभिप्रेत है;

(घ) किसी शेयर या प्रतिभूति के संबंध में “कोट किए गए शेयर या प्रतिभूति” से वह शेयर या प्रतिभूति अभिप्रेत है जो समय-समय पर नियमित रूप से किसी मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में कोट किए गए हैं, जहां ऐसे शेयर या प्रतिभूति कारबार के सामान्य क्रम में चालू संव्यवहार पर आधारित है;

(ङ) “मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज” का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (च) में यथा रूप से समनुदेशित है;

(च) “रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी” से ऐसा व्यौहारी अभिप्रेत है जो मूल्यवर्धित कर विधियों सहित किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 या साधारण विक्रय कर विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;

(छ) “रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक” का वही अर्थ होगा जो धन-कर अधिनियम, 1957 के नियम 8क के साथ पठित धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 34कख में समनुदेशित है;

(ज) “प्रतिभूति” का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) में समनुदेशित है;

(झ) शेयरों या प्रतिभूतियों के संबंध में “कोट न किए जाने वाले शेयर या प्रतिभूति” से वे शेयर और प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं जो शेयर या प्रतिभूति कोट नहीं किए गए हैं;

(ञ) “मूल्यांकन तारीख” से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको निर्धारिती द्वारा अपनी संपत्ति प्राप्त होती है।

11पक. उचित बाजार मूल्य का अवधारण.—अधिनियम की धारा 56 के प्रयोजनों के लिए, स्थावर संपत्ति से भिन्न, संपत्ति का उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) आभूषणों का मूल्यांकन.—

- (i) आभूषणों का उचित बाजार मूल्य उस कीमत पर प्राक्कलित किया जाएगा जिसमें ऐसे आभूषण की कीमत तब प्राप्त होती, यदि जब मूल्यांकन तारीख पर खुले बाजार में बेचा जाता हो;
- (ii) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से मूल्यांकन तारीख को क्रय द्वारा आभूषण प्राप्त होता है तो आभूषण का बीजक मूल्य उचित बाजार मूल्य होगा;
- (iii) यदि आभूषण को किसी और ढंग से प्राप्त किया जाता है और आभूषण का मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक हो तब निर्धारित, कीमत की बाबत रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की रिपोर्ट प्राप्त कर सकेगा जिसमें ऐसी कीमत तब प्राप्त होती यदि जब उसे मूल्यांकन तारीख पर खुले बाजार में बेचा जाता हो;

(ख) पुरातत्वीय संग्रहण, रेखाचित्र, पेंटिंग, मूर्तिकला या कोई अन्य कलाकृति का मूल्यांकन.—

- (i) पुरातत्वीय संग्रहण, रेखाचित्र, पेंटिंग, मूर्तिकला या कोई अन्य कलाकृति (जिसे इसमें इसके पश्चात् कलाकृति कहा गया है) के उचित बाजार मूल्य को उस कीमत में प्राक्कलित किया जाएगा तब इसकी कीमत प्राप्त होती यदि जब मूल्यांकन तारीख पर खुले बाजार में बेचा जाता हो;
- (ii) यदि किसी कलाकृति को किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से मूल्यांकन तारीख को क्रय के माध्यम से प्राप्त किया जाता है तो कलात्मक कृति का बीजक मूल्य उचित बाजार मूल्य होगा;
- (iii) यदि कलाकृति को किसी और ढंग से प्राप्त किया जाता है और कलात्मक कृति का मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक हो तब निर्धारित, कीमत की बाबत रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की रिपोर्ट प्राप्त कर सकेगा जिसमें ऐसी कीमत तब प्राप्त होती जब उसे मूल्यांकन तारीख को खुले बाजार में बेचा जाता हो ।

(ग) शेयरों और प्रतिभूतियों का मूल्यांकन.—

- (क) कोट किए गए शेयरों और प्रतिभूतियों का उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :—
- (i) यदि कोट किए गए शेयर और प्रतिभूति किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से क्रियान्वित संव्यवहार द्वारा प्राप्त किया जाता है तो ऐसे शेयर और प्रतिभूतियों का उचित बाजार मूल्य संव्यवहार मूल्य होगा जो ऐसे स्टाक एक्सचेंज में अभिलिखित है;

- (ii) यदि किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज से भिन्न ऐसे कोट किए गए शेयर और प्रतिभूतियों को क्रियान्वित संव्यवहार द्वारा प्राप्त किया जाता है तो ऐसे शेयर और प्रतिभूति का उचित बाजार मूल्य निम्नानुसार होगा,—

(क) मूल्यांकन तारीख को किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज पर कोट किए गए ऐसे शेयर और प्रतिभूति की निम्नतम कीमत होगी, और

(ख) उन मामलों में जहां मूल्यांकन तारीख को किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज पर ऐसे शेयर और प्रतिभूतियों का व्यापार नहीं है, मूल्यांकन तारीख से ठीक पहले की तारीख को मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज पर ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत जब ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों का ऐसे स्टाक एक्सचेंज में व्यापार किया जाता है;

(ख) कोट नहीं किए गए साधारण शेयरों का उचित बाजार मूल्य, मूल्यांकन तारीख को ऐसे कोट नहीं किए गए साधारण शेयरों का मूल्य होगा जो निम्नलिखित रीति में अवधारित हो सके, अर्थात् :—

$$\text{कोट नहीं किए गए साधारण शेयरों का उचित बाजार मूल्य} = \frac{(\text{ए-एल})}{(\text{पीई})} * (\text{पीवी})$$

जहां क = तुलनपत्र में किसी आस्ति का बही मूल्य जो आय-कर अधिनियम के अधीन अग्रिम कर के रूप में किसी संदत्त रकम द्वारा कम किया गया है और जो लाभ और हानि लेखा के विकलन अतिशेष सहित तुलनपत्र में दिखाई गई कोई रकम या लाभ और हानि विनियोग लेखा जो आस्ति के मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है ।

एल = तुलनपत्र में दर्शित दायित्वों का बही मूल्य किंतु निम्नलिखित रकम सम्मिलित नहीं है :—

- (i) साधारण शेयरों के संबंध में संदत्त पूंजी;
- (ii) अधिमानी शेयरों और साधारण शेयरों पर लाभांश के संदाय के लिए पृथक रखी गई रकम जहां ऐसा लाभांश, कंपनी के साधारण निकाय की बैठक पर अंतरण की तारीख के पूर्व घोषित नहीं किया गया है;
- (iii) अवक्षयण के लिए पृथक रखे गए से भिन्न आरक्षित, चाहे यह किसी नाम से ज्ञात हो;
- (iv) लाभ और हानि लेखा का प्रत्यय अतिशेष;
- (v) आय-कर अधिनियम के अधीन अग्रिम कर के रूप में संदत्त रकम से भिन्न इसमें लागू विधि के अनुसार बही लाभों के प्रतिनिर्देश से अधिक संदेय कर के परिमाण तक कराधान के लिए उपबंध का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई रकम;

(vi) अभिनिश्चित दायित्वों से भिन्न किन्हीं दायित्वों को पूरा करने के लिए किए गए उपबंधों का प्रतिनिधित्व करने वाली रकम ।

(vii) संचयी अधिमानी शेयरों की बाबत संदेय लाभांश के बकाया से भिन्न, समाश्रित दायित्व को प्रतिनिधित्व करने वाली कोई रकम ।

पीई = संदत्त साधारण शेयर पूंजी की कुल रकम जिसे तुलनपत्र में दर्शित किया गया है ।

पीवी = ऐसे साधारण शेयर का संदत्त मूल्य

(ग) कंपनी में साधारण शेयर से भिन्न कोट नहीं किए गए शेयर और प्रतिभूतियों का उचित बाजार मूल्य जो किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, उस कीमत के लिए प्राक्कलित किया जाएगा जिसमें ऐसी कीमत तब प्राप्त होती जब उसे यदि मूल्यांकन तारीख पर खुले बाजार में बेचा गया हो और निर्धारिती, किसी वाणिज्यिक बैंक या लेखाकार से ऐसे मूल्यांकन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त कर सकेगा ।'

[अधिसूचना संख्या 23/2010/फा. सं. 142/21/2009-एसओ
(टीपीएल)]

आशीष कुमार, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम रूप से आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2010 को अधिसूचना संख्यांक का.आ. 424(अ), तारीख 18-2-2010 द्वारा संशोधन किया गया ।